छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
email : higher-education@cg.gov.in
---0000---

क्रमांक एफ 3–32/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.02.2021
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था।

राज्य शासन, फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध शैक्षणिक सत्र 2020–21 में पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था करने की सहमति प्रदान करता है।

2/ जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन की जाये।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 216/आर–210/ब–3/4, दिनांक 22.02.2021 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार

(जी.एल. सांकला)
उप सचिव

पृ. क्रमांक एफ 3–32/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.02.2021
प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग., मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर,
02. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
03. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर जावक क्रमांक 216/आर–210/ब–3/4, दिनांक 22.02.202107. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,

Scanned with CamScanner

04. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,
05. समस्त संभागीय आयुक्त, छ.ग.,
06. समस्त कलेक्टर, जिला–...............................
07. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)
08. समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय...............
09. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग.,
10. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
11. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
12. आदेश फोल्डर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा
विभाग

Scanned with CamScanner